

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	<p style="text-align: center;">30⁹ 21</p> <p>न्यायालय फरीकोट उप-अधीन P.O. सहाय रीमर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 12/21 को उनके समक्ष पेश हो</p>	
	<p style="text-align: center;">2 12 21</p> <p>पत्रावली का प्रस्तावकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में नियन्त्रण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 14/12/21 का पेश हो।</p>	
14 12 21	<p>आज यह पत्रावली प्रशासन जांब के संग अभियान कैम्प ग्रांथं बघानाभपेश हुई। वादी स्वयं उपरो वादी ने एक शर्चना पत्र पेश कर निवेदन किया की शर्ची द्वारा आज कैम्प में अपना नाम राजस्थान सिबोर्ड में शुद्ध करा लिया गया है। अब मैं इस वाद में भागे कोई कार्यवाही नहीं चाहता विद्वा करना चाहता हू। वादी का शर्चना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी अपने वाद को भागे नहीं चलाता चाहता है अतः वादी का वाद विद्वा किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तन्मील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p style="text-align: center;">40000000</p> <p style="text-align: center;">Feb 14 Commissary</p>

